राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ. /राम/कसे/एल.आर.सी./2006/5735-5975 दिनांक : 13/4/2006

तहसीलदार, ... जिला,
समस्त राजस्थान

विषय : नामान्तरकरण के प्रभावी नियन्त्रण हेतु साईबर कैफे की सहायता ।

राजस्व मण्डल द्वारा 01 मई 2006 से अपना खाता वेबसाईट के माध्यम से काश्तकारों को नामान्तरकरण करवाने में आ रही समस्याओं के निराकरण एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु मण्डल स्तर पर अतिरिक्त निबन्धक (नामान्तरकरण नियन्त्रण सेल), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की देखरेख में एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाकर कार्यवाही करवाई जा रही है ।

इस व्यवस्था में काश्तकारों द्वारा राजस्व मण्डल के लाइसेंसधारी अधिकृत साईबर केफे के माध्यम से समस्याओं को इन्टरनेट (http://apnakhata.raj.nic.in) के द्वारा मण्डल कार्यालय को सीधे ही प्रेषित किया जायेगा तथा मण्डल द्वारा इसे संबंधित तहसीलदार को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा। तहसीलदार संबंधित प्रकरणों पर उचित कार्यवाही कर इसी प्रणाली के माध्यम से मण्डल कार्यालय को 15 दिवस में सूचित करेगें। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. जिस प्रार्थी को नामान्तरकरण करवाने में अड़चनें आ रही हैं या देरी हो रही है तो वे किसी भी लाईसेंसधारी कैफे में जाकर प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है । इस हेतु लाईसेंसधारी साईबर कैफे को रूपये 10/– फीस लेने के लिये अधिकृत किया हुआ है । साईबर कैफे प्रार्थी की जमीन एवं नामान्तरकरण सम्बन्धित आवश्यक विवरण कम्प्यूटर में दर्ज कर इण्टरनेट के माध्यम से उपर्युक्त वेबसाईट पर सूचना दर्ज कर देगा । जिसे राजस्व मण्डल का कम्प्यूटर सेल मॉनिटरिंग करेगा एवं कम्प्यूटर के माध्यम से सम्बन्धित तहसील को भेजेगा । तहसीलदार उसे प्राप्त कर सम्बन्धित पटवारी को निर्देशित करेगा कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करवाई जाय । तहसीलदार इसकी प्रगति समय–समय पर कम्प्यूटर में फीड करता रहेगा ताकि राजस्व मण्डल उस पर नियन्त्रण कर सके एवं प्रार्थी को भी साईबर कैफे के माध्यम से प्रगति की जानकारी होती रहे । राजस्व मण्डल का नामान्तरकरण सेल यह भी मॉनिटरिंग करेगा कि किस तहसील में कितनी देरी की जा रही है एवं नामान्तरकरण का कितना कार्य अटका हुआ है ? इस पर उचित कार्यवाई करवायेगा ताकि नामान्तरकरण समय पर सम्पन्न हो सके ।

2. एल.आर.सी.कम्प्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना :–

एल.आर.सी.कम्प्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए तहसील स्तर पर बी.एस.एन.एल. से पी.एस.टी.एन.डॉयल–अप लिमिटेड एक्सेस एक्ज्यूक्टिव 100 राशि 551 रूपये का कार्ड दो वर्ष के लिए इंटरनेट सुविधा ली जाकर लॉगिन एवं पासवर्ड प्राप्त करें, जिसे आपके कम्प्यूटर पर कॉनफिगर (Configure) किया जाना है। यदि किसी कारणवश आपके जिले में उक्त प्लान उपलब्ध न हो तो बी.एस.एन.एल. के 172222 प्लान (निशुल्क) को निर्देशानुसार कम्प्यूटर पर कॉनफिगर करें। इस संबंध में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करावें। एल.आर.सी.योजना के तहत समस्त तहसीलों में मोडम उपलब्ध कराया गया है, इस मोडम को उपयोग में लिया जाये, यदि तहसील स्तर पर मॉडम उपलब्ध नहीं है अथवा खराब है तो तहसीलदार नया मॉडम एल.आर.सी. योजना के मद अथवा कार्यालय व्यय मद से क्रय कर सकता है।

3. अपना खाता केन्द्र में टेलीफोन सुविधा :–

अपना खाता केन्द्र में तहसील/एस.डी.ओ. कार्यालय में स्थित टेलीफोन को वाई केबल से जोड़कर इंटरनेट कॉनफिग्रेशन किया जा सके, उक्त केबल से टेलीफोन एवं इंटरनेट को एक साथ जोड़कर कार्य किया जा सके (One facility at a time)।

4. तहसीलदार एवं रिसोर्स पर्सन के लिए प्रशिक्षण आयोजित करवाना :–

तहसीलदार स्वयं अपने रिसोर्स पर्सन के साथ 25 अप्रेल 2006 से पूर्व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. से सम्पर्क कर इस नवीन प्रणाली संबंधी क्रियान्वित हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर लें एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् आप अपनी तहसील में कम्प्यूटर को कॉनफिगर कर मण्डल कार्यालय को ईमेल (bor@raj.nic.in) के माध्यम से सूचित करें। उक्त प्रशिक्षण योजना जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, जयपुर द्वारा पृथक से भेजी जावेगी।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

क्रमांक : सम/5976- 6470

दिनांक : 13/4/2006

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मुख्यालय जयपुर।
3. अतिरिक्त निबन्धक (नामान्तरकरण नियंत्रण सेल), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. उपखण्ड अधिकारी, समस्त राजस्थान।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, समस्त राजस्थान।

13/4/06

उप निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर